

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आ दे श ::

भोपाल, दिनांक 10/09/2012


क्रमांक एफ 12-44/2010/सत्रह/मेडि-तीन : : मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य को निधि के अंतर्गत चिन्हित गंभीर जानलेवा बीमारियों के उपचार हेतु केवल एक बार रुपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) तक की राशि राज्य स्तरीय समिति द्वारा एवं रुपये 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) तक की राशि जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत करने का प्रावधान है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि नियम-1997 के नियम-पांच जो मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 02/09/1997, 25/01/2006 तथा 21/10/2010 को प्रकाशित किये गये हैं, में आंशिक संशोधन करते हुये राज्य स्तरीय समिति द्वारा अधिकतम राशि रुपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) तक के प्रकरण राज्य स्तरीय समिति (आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें) के स्थान पर संभागीय आयुक्त द्वारा स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान करता है।

3/ उपचार हेतु प्रदाय की जाने वाली राशियों के बैंक जिला स्तर से ही प्रदाय किये जायें।

4/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 420/आर-838/ब-6/12, दिनांक 07/09/2012 में दी गयी सहमति के तारतम्य में जारी की गयी है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, 'मंत्रालय', भोपाल की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 'मंत्रालय', भोपाल।

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. मिशन संचालक, एनआरएचएम, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. संचालक, चिकित्सा सेवायें, म.प्र. भोपाल।
8. संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश।
9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/तालिकर/जएलपुर/रीवा/सागर, म.प्र.।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
15. आदेश नस्ती।

DMs
11/2 SEP 2012
आयुक्त क्रमांक 3959
हस्ताक्षर

1/28
13-9-12

Dir(SIF)
14/9/12

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Dir(SIF)
14/9/12

मा. म. शा. प. 10/
300
दिनांक 14/9/12

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
7-9-12